संख्या-216/2024/1267/22-2-2023-17(1122)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषयः- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-24.01.23 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी महमदपुर महेवा, थाना-खीरी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनाँक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नरेन्द्र व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45, 46/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149, 25 (1-बी) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-9, सीतापुर के आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनाँक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नरेन्द्र व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है, इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 40 वर्ष, 11 माह, 25 दिन है। अतएव बन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा (बंदी संख्या-434/2013) पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-216/2024/1267(1)/22-2-2023-17(1122)/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-216/2024/1267(2)/22-2-2023-17(1122)/2023

दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा (बंदी संख्या-434/2013) पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनाँक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नरेन्द्र व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-45, 46/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149, 25 (1-बी) ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-9, सीतापुर के आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 01 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य की पूर्ति में प्राणघातक आग्नेयास्त्र से लैस होकर दिनाँक 29.07.2007 को बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा व अद्वी, बन्दूक से फायर कर नरेन्द्र व श्रीमती सुदामा नामक महिला सहित 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है, इस तरह के अपराधियों की समय पूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 40 वर्ष, 11 माह, 25 दिन है। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता आदि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रमेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री पारिखलाल वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।